(136)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 16/2013–14

सामुएल मुर्मू .....अपीलकर्ता

बनाम

मरकुस किस्कु एवं अन्य .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

12/05/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 16/2013–14 सामुएल मुर्मू बनाम् मरकुस किस्कु एवं अन्य, मौजा चरकापाथर, अंचल रानेश्वर के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 87/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा चरकापाथर प्रधानी मौजा है एवं रमेश मुर्मू को मौजा का प्रधान सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत उत्तराधिकारी के आधार पर नियुक्त किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध में उत्तरकारी द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील सं0 71/2000–01 दायर किया गया। जिसमें तत्कालीन उपायुक्त द्वारा वाद को उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु निम्न न्यायालय को पुनर्विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर निम्न न्यायालय द्वारा पुनः वाद प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। इसी बीच रमेश मुर्मू की मृत्यु हो गई एवं उनके स्थान पर अपीलकर्त्ता को प्रतिस्थानी (Substitute) बनाया गया। अपीलकर्त्ता रमेश मुर्मू के पुत्र है। तत्पश्चात अंचल अधिकारी, रानेश्वर के पत्रांक 722/रा0 दिनांक 13.12.2011 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता के पिता रमेश मुर्मू प्रधान नियुक्ति हुए थे। उनपर आरोप था कि उन्होंने गोचर दाग सं0 104 को अतिक्रमण किया है किन्तु सरजमींन पर जांच से पता चला कि दाग सं0 104 जमाबन्दी सं0 07 के अन्तर्गत आता है। अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.04.2013 द्वारा धारा 05 की प्रक्रिया अपनाते हुए अंचल अधिकारी से जमाबन्दी रैयतों की सूची की मांग की गई। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मौजा के पूर्व प्रधान अपीलकर्त्ता के दादा सोम मुर्मू थे। उनके मृत्यु के पश्चात अपीलकर्त्ता के पिता रमेश मुर्मू को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त किया गया किन्तु इसके विरूद्ध में

उपायुक्त के न्यायायल में अपील दायर किया गया कि रमेश मुर्मू द्वारा गोचर दाग सं0 104 पर अतिक्रमण किया गया है। इस पर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा जांचकर तथा उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु निम्न न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त उक्त जमींन को गोचर नहीं अपितु जमाबन्दी सं0 07 का रैयती जमींन पाया गया। अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति करने का अनुशंसा किया गया है तथा 16/– रैयतों द्वारा भी हस्ताक्षयुक्त आवेदन अंचल अधिकारी को समर्पित कर अपीलकर्त्ता को प्रधान के रूप में समर्थन किया है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के दावों पर विचार किये बिना ही वाद की कार्रवाई धारा 05 के अन्तर्गत परिवर्त्तित किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रधान पद पर नियुक्त किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।